

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 02/02/2023 को आयोजित प्रबंधन समिति की बैठक का कार्यवृत)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजे१ की अध्यक्षता में दिनांक 02/02/2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजे१ (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त एनएसईजे१ (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामांकित)
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि।
4. श्री चमन लाल, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), कार्यालय अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए नई दिल्ली।
5. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
6. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) नितिन गुप्ता, उप. विकास आयुक्त, एनएसईजे१, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजे१, (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजे१, (iv) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजे१, (v) पी.पी. सिंह, एईई, यूपीपीसीबी (AEE,UPPCB), नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. शुरुआत में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

सुरेंद्र मलिक

(1) दिनांक 03/01/2013 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 03/01/2023 को हुई अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 03/01/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) प्रोटेम कंप्यूटर – एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

2.1 अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए कंपनी से कोई भी आवेदक उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया। समिति ने अनुपस्थिति को भी गंभीरता से लिया और इकाई से स्पष्टीकरण मांगा कि ऑनलाइन लिंक का विकल्प प्रदान किए जाने के बावजूद वे उपस्थित क्यों नहीं हुए।

(3) इन्फिनिटी ग्लोबल - एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 श्री पंकज गुप्ता, फर्म के मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित अधिकृत संचालन/आईटीसी (एचएस) कोड/उत्पादन क्षमता/प्रक्षेपण फॉर्म-एफ1 में उल्लिखित हैं, के लिए पांच साल के दूसरे ब्लॉक की शेष अवधि जो फॉर्म-एफ1 में उल्लिखित प्रस्तावित अधिकृत संचालन/आईटीसी (एचएस) कोड/उत्पादन क्षमता/प्रोजेक्शन के लिए 07/07/2026 तक है, मैसर्स इन्फिनिटी ग्लोबल के एलओए (LOA) की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।

3.3 अनुमोदन समिति ने पिछली ब्लॉक अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की जो कि 2016-17 से 2021-22 तक (07/07/2021) एपीआर (APR) प्रस्तुत की गई और उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) कमाई की उपलब्धि के आधार पर है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2022 तक कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

(4) जयश्री ज्वेलर्स - अनुमानों में संशोधन।

4.1 श्री चक्रु शर्मा, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्ताव की व्याख्या की।

सुरेंद्र मालिक

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमानों में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(5) रेयान इम्पेक्स – एलओए (LOA) की वैधता का विस्तार और एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन के रूप में अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करना।

2.1 श्री संदीप अग्रवाल, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल एक मद की स्वीकृति घाटे वाली परियोजना होगी और इसलिए परियोजना उनके लिए व्यवहार्य नहीं होगी।

2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) काली मिर्च का तेल (33012935) (1375 किलोग्राम / वर्ष); (ii) लौंग का तेल (33012918) (2250 किग्रा/वर्ष); (iii) काली मिर्च पाठड़र (09041200) (48125 किग्रा/वर्ष); (iv) लौंग पाठड़र (09072000) (11250 किग्रा/वर्ष)" निम्नलिखित शर्तों के अधीन इकाई को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

(i) कोई उप-करार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) इकाई 100% निर्यात करेगी और कोई डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) काली मिर्च के निर्यात से सहसंबंध के लिए प्रत्येक आयात/डीटीए (Import/DTA) खरीद के प्रतिदर्श निकालना।

3. अनुमोदन समिति ने आगे आवश्यक आवेदन/दस्तावेज प्राप्त होने पर फाइल पर एलओए (LOA) विस्तार पर विचार करने का निर्देश दिया।

(6) राधिका प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड - "मैसर्स किलफ जीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" के नाम में परिवर्तन और एलओए (LOA) की वैधता में विस्तार।

6.1 श्री निखिल सिंगला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि केवल कंपनी का नाम बदला गया है और अन्य सभी विवरण/शेयरधारिता पैटर्न पहले की तरह ही हैं। उन्होंने आगे बताया कि आईईसी (IEC) को नए नाम से पहले ही संशोधित किया जा चुका है। उन्होंने इसकी जानकारी भी दी कि वह उत्पादन शुरू नहीं कर सका क्योंकि बिजली कनेक्शन का इंतजार था। हालांकि इसे मंजूरी दे दी गई है, इकाई ने संकेत दिया है कि यह एक सप्ताह के भीतर चालू हो जाएगा। इकाई ने कहा कि कनेक्शन मिलने के 4 सप्ताह के भीतर उनका निर्यात शुरू हो जाएगा।

सुरेश मालिक

एलओए (LOA) विस्तार के मुद्दे पर श्री सिंगला ने बताया कि वह जल्द ही आवश्यक ऑनलाइन आवेदन दाखिल करेंगे।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में "मैसर्स राधिका प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड" से "मैसर्स क्लिफ जीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" में इकाई के नाम के परिवर्तन पर ध्यान दिया।

6.3 अनुमोदन समिति ने आगे आवश्यक आवेदन/दस्तावेज प्राप्त होने पर फाइल पर एलओए (LOA) विस्तार पर विचार करने का निर्देश दिया।

(7) डीआईएन (DIN) इंजीनियरिंग एलएलपी - भागीदारों में बदलाव और फर्म के लाभ/हानि शेयर अनुपात और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के भागीदार और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव पर ध्यान दिया।

7.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर पिछली ब्लॉक अवधि यानी 14/10/2016 से 31/03/2022 तक के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2022 तक कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

(8) इंटररा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों में परिवर्तन।

8.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में निदेशकों के परिवर्तन और इसमें कोई बदलाव नहीं होने के साथ शेयरधारिता पैटर्न की स्थिति पर ध्यान दिया।

(9) कंप्लीट सर्वइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I) - SEZ नियम, 2006 के नियम 74A के तहत संपत्ति और देनदारियों के बाहर निकलने और हस्तांतरण की अंतिम स्वीकृति; बाहर निकलने की औपचारिकताओं का अनुपालन और प्रदर्शन की निगरानी।

9.1 अनुमोदन समिति ने ब्लॉक अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की जो 06/10/2014 से 05/10/2019 और 06/10/2019 से 05/01/2023 (सीमा शुल्क अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC की तारीख)) तक उक्त अवधियों के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की एपीआर (APR) प्रस्तुत की गई

Suresh Patel

और नोट की गई उपलब्धि के आधार पर है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 05/01/2023 तक कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

9.2 समिति ने मैसर्स कंप्लीट सर्वेंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I) को एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के 74 ए नियम के तहत मैसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड (FTWZ) सर्विसेज को प्लॉट नंबर 129जी/45, एनएसईजेड (NSEZ) में भवन सहित संपत्ति और देनदारियों के बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए अंतिम मंजूरी देने का फैसला किया।

(10) नोवो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड - आईटीसी (एचएस) कोड और अधिकृत संचालन में बदलाव के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

10.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसी (एचएस) कोड में बदलाव के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की और अधिकृत संचालन को पत्र दिनांक 27/12/2022 के माध्यम से अवगत कराया।

(11) शंभु खेनी प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन क्षमता में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

11.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इस कार्यालय पत्र दिनांक 10/01/2023 द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की।

11.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर पिछली ब्लॉक अवधि यानी 2017-18 से 2021-22 तक के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया।

(12) अल. फिजा ज्वैलर्स - एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में प्रदर्शन की निगरानी और एनएसईजेड सीमा शुल्क से प्राप्त जानकारी और (ii) अधिकृत संचालन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर।

12.1 श्री गुलजार खान, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए, हालांकि वे कर्मचारी के पते में गलत स्पष्टीकरण के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके। इसके अलावा, वह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि अधिकृत प्रचालनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की मांग क्यों की गई है और पिछले ब्लॉक के दौरान मूल्यवर्धन की उपलब्धि में कमी के कारण क्या थे।

सुरेन्द्र मालिक

12.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, कर्मचारी के पते की गलत घोषणा और निर्धारित मूल्यवर्धन की उपलब्धि न होने के मामले पर गंभीरता से विचार किया। समिति ने कार्यसूची नोट में उल्लिखित मुद्दों से संबंधित इकाई को एक कारण बताओ नोटिस (SCN)जारी करने का भी निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त को इन मुद्दों पर इकाई को कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करने और फ़ाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(13) लक्ष्मण ओवरसीज - एलओए में अधिकृत संचालन के रूप में अतिरिक्त भंडारण सामान को शामिल करना और एलओए (LOA) की शर्तों में संशोधन।

13.1 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि उनके एलओए (LOA) में एक शर्त है कि "एनएसईजेड सीमा शुल्क द्वारा भंडारण सामानों की 100% जांच की जानी है" जिसके कारण उन्हें ऑर्डर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कई ग्राहकों ने 100% की उक्त शर्त पर आपत्ति जताई है। क्योंकि इस तरह की जांच के दौरान कई सामान/पैकेजिंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप नुकसान और देरी होती है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य भंडारण इकाई के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है और इसलिए वे अपनी इकाई में अपने माल के भंडारण के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने में असमर्थ हैं। इसी वजह से उन्होंने कुछ मौजूदा ग्राहकों के कई ऑर्डर भी खो दिए हैं। अतिरिक्त भंडारण मर्दों को शामिल करने के संबंध में, उन्होंने सूचित किया कि प्रस्तावित सामानों के भंडारण के लिए उनके पास अधिक ग्राहकों से पूछताछ है, लेकिन वे अधिकृत संचालन का हिस्सा नहीं हैं इसलिए उन्होंने एलओए (LOA) में शामिल करने के लिए आवेदन किया है।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस कोड 7117, 29349910, 29349920 और 29349990 के तहत सामान को छोड़कर अतिरिक्त भंडारण के सामान को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति आगे 100% परीक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए सहमत हुई और निर्णय लिया कि एनएसईजेड (NSEZ) सीमा शुल्क अनियमित आधार पर इकाई के भंडारण में रखे गए कम से कम 10% माल की जांच करेगा।

(14) स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड - फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण।

14.1 श्री एन के पुस्टी और श्री सुमित चक्रवर्ती, इकाई के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष पेश हुए और सूचित किया कि मैसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इडेमिया सिसकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी संस्थाएं हैं और उनके बीच डीजी सेट, अग्निशमन प्रणाली सहित इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेवा मशीनरी और उपकरण से संबंधित आदि बुनियादी सुविधाओं का उपयोग प्रदान करने के लिए एक

सुरेन्द्र मालिक

समझौता है। श्री पुस्टी ने आगे बताया कि वे केवल बिजली कनेक्शन साझा कर रहे हैं और कोई अन्य उपकरण/मशीनरी नहीं, हालांकि, बिजली कनेक्शन के इस तरह के बंटवारे के लिए उनके पास यूपीपीसीएल (UPPCL) से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं है। बैठक में उपस्थित यूपीपीसीएल के प्रतिनिधि ने कहा कि वह उनके प्रावधानों के अनुसार बिजली कनेक्शन साझा करने के मामले की जांच करेंगे और इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

14.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को उनके कारखाने के अनुज्ञासि (License) पर विचार करने के लिए बिजली कनेक्शन साझा करने के लिए यूपीपीसीएल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में प्रारंभिक जांच/प्रतिक्रिया के लिए संचार की प्रति यूपीपीसीएल (UPPCL) को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

(15) ग्लोबल एंटरप्राइज - एनएसईजेड (NSEZ) में एक इकाई की स्थापना।

15.1 श्री मनोज कुमार और श्री मोहित सहदेव, भागीदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की और फिर सदर बाजार में फैशन सहायक और नकली आभूषणों के पारिवारिक व्यवसाय में काम किया, जिसे उनके पिता ने 1964 में शुरू किया था। उक्त व्यवसाय में, उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्माण और व्यापार किया। बाद में वे वर्ष 2007 में अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए और अब वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। उनके द्वारा आगे बताया गया कि श्री मोहित सहदेव को सोना/प्लेटिनम/चांदी के आभूषण व्यवसाय में 18 वर्षों का अनुभव है और करोल बाग में पारिवारिक व्यवसाय भी है।

15.2 श्री कुमार ने कहा कि हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ईसीटीए (ECTA) के बारे में पढ़ा जो व्यापार को बढ़ाने का सुनहरा अवसर देता है क्योंकि समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों के तहत आने वाले भारतीय निर्मित आभूषणों पर ऑस्ट्रेलिया में कोई आयात शुल्क/जीएसटी (GST) नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि वे तैयार माल को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, कनाडा आदि को निर्यात करेंगे।

15.3 अनुमोदन समिति ने देखा कि आवेदक ने सोने और चांदी की सामग्री के अनुमानित मूल्य का उल्लेख रूपये के रूप में किया है। फॉर्म-एफ में 6000 लाख जबकि निर्यात को 31500 लाख रूपये अनुमानित किया गया है। साथ ही निधि प्रवाह विवरण (Fund flow statement) भी सही नहीं दिया गया है।

सुरेन्द्र सौलेक

15.4 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एनएसईजेड में सही फॉर्म-एफ, फंड फ्लो स्टेटमेंट जमा करने और आवेदन में अन्य कमियों के सुधार के अधीन (i) चांदी के आभूषण (71131110) (क्षमता: 5000 किग्रा/वर्ष); (ii) सोने के आभूषण (71131910) (क्षमता: 60किलोग्राम/वर्ष)' उत्पादन' के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लोबल एंटरप्राइज के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक से उत्तर प्राप्त होने और फाइल पर उसकी जांच के बाद अंतिम अनुमोदन लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अविप्न मैनन
(ए. विप्न मैनन)

विकास आयुक्त